

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार



32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 31/12/2019

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-04/2019 **245!** चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-11 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 03.02.2020 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-1687 दिनांक 28.10.2019 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 30.09.2019 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.11.2019 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।


बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (viii) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

- (ix) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (x) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (xi) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (xiii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (xiv) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निर्बंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तदनुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 07.01.2020 (मंगलवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् प्रपत्र-ई० 6 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में पूर्ण सूचनायें फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


(गिरीश शंकर)


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2451

पटना/ दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


31/12/19
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2451

पटना/ दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, मगध, पटना, सारण, भागलपुर, तिरहुत एवं पूर्णिया/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2451

पटना/ दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि: संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधि दिनांक 06.01.2020 तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियाँ के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2451

पटना/ दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 2451

पटना/ दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापक : 2451

पटना/ दिनांक 31/12/2019

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/
प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/12/19

मुख्य चुनाव पदाधिकारी



निर्वाचन देय स्वाबलंबी सहकारी समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
1	जहानाबाद	हुलासगंज	मगध मजदूर सेल्फ सपोर्टिंग को-ऑपरेटिव स०स०लि०
2	सिवान	सिवान	प्रगति बचत एवं साख स्वाबलम्बी सहकारी समिति स०स०लि०
3	बक्सर	बक्सर	शारदा सेवा स्वाबलम्बी स०स०लि०, करहँसी
4	गया	डोभी	डोभी कृषक सेवा स्वाबलंबी स०स०लि०
5	गया	डोभी	मुहसेहना कृषक सेवा स्वाबलंबी स०स०लि०
6	भागलपुर	जगदीशपुर	एकता हैण्डलूम बुनकर स्वाबलंबी स०स०लि०, तातारपुर
7	कैमूर	रामपुर	पंचायत जलालपुर कृषि एवं उर्वरक क्रय विक्रय स्वाबलम्बी स०स०लि०
8	वैशाली	चहराकलॉ	विष्णुपर गढ़ कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
9	पूर्णियाँ	धमदाहा	नीरपुर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
10	पूर्णियाँ	धमदाहा	आदर्श कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
11	पूर्णियाँ	धमदाहा	नीरपुर फल सब्जी उत्पादक कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
12	पूर्णियाँ	के० नगर	माँ भगवती कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
13	पूर्णियाँ	डगरूआ	तबस्सुम कृषक विकास स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
14	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	माँ दुर्गा कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
15	पटना	पटना सदर	संत गृह निर्माण स्वाबलंबी समिति लि०
16	औरंगाबाद	कुटुम्बा	किसान कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, धनीवार
17	औरंगाबाद	कुटुम्बा	शंकर कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, करमा वसंतपुर
18	औरंगाबाद	कुटुम्बा	माँ सतवाहिनी कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०
19	औरंगाबाद	कुटुम्बा	किसान कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, सिमरा, कुटुम्बा
20	औरंगाबाद	हसपुरा	ईटवा कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०
21	औरंगाबाद	ओबरा	अरण्डा फल सब्जी सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, अरण्डा
22	औरंगाबाद	ओबरा	सुंदरम् कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०
23	औरंगाबाद	नवीनगर	कमदारपुर कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, कमदारपुर
24	औरंगाबाद	नवीनगर	मोहरकर्मा आदर्श कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, नवीनगर
25	औरंगाबाद	देव	कौड़ियारी कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, कौड़ियारी देव
26	औरंगाबाद	औरंगाबाद	जम्होर बहुधंधी कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, जम्होर
27	औरंगाबाद	औरंगाबाद	अनुग्रह नारायण रोड़ कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, जम्होर
28	औरंगाबाद	औरंगाबाद	हलवाहा कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी सहकारी समिति लि०

निर्वाचन देय स्वाबलंबी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	07.01.2020 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	22.01.2020 (बुधवार) एवं 23.01.2020 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	24.01.2020 (शुक्रवार) एवं 25.01.2020 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	27.01.2020 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	03.02.2020 (सोमवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	03.02.2020 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)